

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग
कमांक प.12 (6)शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट

(R) RTE
जयपुर दिनांक 19/10/2016

125/R

:: आदेश ::

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत शैक्षणिक सत्र 2016-17 में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए दिनांक 28.04.2016 को निकाली गई लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु अन्तिम रूप से चयनित बालक-बालिकाओं के विद्यालय में प्रवेश हेतु संशोधित समय सीमा 31.07.2016 थी। प्रवेशित बालक-बालिकाओं के आरटीई वेबपोर्टल पर अपडेशन एवं भौतिक सत्यापन हेतु जारी इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.08.2016, 02.09.2016 एवं 21.09.2016 के अतिक्रमण में संशोधित टाइम फ्रेम निम्नानुसार जारी किया जाता है:-

रस 3176
19 OCT 2016

क्र. सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	निर्धारित तिथियाँ
1.	विद्यालय की एंट्री कक्षा में 31.07.2016 तक प्रवेशित बालक-बालिकाओं को आरटीई वेबपोर्टल पर अपडेट करना।	10.11.2016 तक
2.	विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य	10.11.2016 तक
3.	विद्यालयों द्वारा रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	15.11.2016
4.	सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना	25.11.2016

शेष कार्य इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.03.2016 में वर्णितानुसार किया जाएगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(उमाशंकर त्रिपाठी)
व.शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव-स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, राप्रशिप, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईजी, शिक्षा संकुल, जयपुर को देकर लेख है कि उक्त आदेश को आरटीई वेब-पोर्टल पर प्रदर्शित करवाने तथा ई-मेल के माध्यम से गैर सरकारी विद्यालयों को प्रेषित करवाने का श्रम करें।
8. रक्षित पत्रावली

(उमाशंकर त्रिपाठी)
व.शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-शिविस/प्रार/RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/16-17/129

दिनांक-21/10/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा(ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC केन्द्र, खंड 6, प्रथम तल, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा (सगरस्त).....।
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (सगरस्त).....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधिनस्थ कार्यालयों तथा गैर सरकारी विद्यालयों में उक्त सूचना अविलंब प्रसारित करावें।

उप निदेशक (आरटीई) 21/10/16
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर